इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2011—भाद्र 7, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-1-3-2009-3-अड़तीस.—यतः महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्‌भूत हो गई है जिसमें महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है और इसलिए यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंधों को लागू किया जाए ताकि विश्वविद्यालय के हितों का अहित किए बिना प्रशासन चलाया जा सके.

अतएव, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध, उक्त विश्वविद्यालय को 29 अगस्त 2011 से लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-1-3-2009-3-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-52-3-2011-3-अड़तीस, दिनांक 29 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th August 2011

No. F-1-3-2009-XXXVIII-3.—WHEREAS, on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University, Ujjain the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University can not be carried out in accordance with the provisions of the Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008) and it is, therefore, expedient in the interest of the University that the provisions of Section 52 of the said Act be enforced so that the administration can be carried out without detriment to the interest of University.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic University Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008), the State Government hereby directs that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of Section 52 of the said Act shall apply to the said University from 29th August, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. P. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.